महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखण्ड

- निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
- निदेशालय महिला कल्याण

निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनायें

1– केन्द्र सहायतित योजनायें

क्र0 सं0	योजना का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश
1	आई0सी0डी0एस0	90 %	10%
2	अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम	90 %	10%
3	पोषण अभियान	95 %	5%
4	प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना	90 %	10%
5	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	90 %	10%
6	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	100 %	-
7	राष्ट्रीय महिला हेल्प लाइन	100 %	-
8	वन स्टाप सेन्टर	100 %	-
9	महिला शक्ति केन्द्र	90 %	10%
10	निर्भया फण्ड	90 %	10%
11	कामकाजी महिला छात्रावास	90 %	10%
12	किशोरियों के लिये स्कीम SAG	90 %	10%

विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनायें

2– राज्य सहायतित योजनायें

क्र0सं0	योजना का नाम
1	नन्दा गौरा योजना
2	मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान
3	मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना
4	तीलू रौतेली पुरस्कार
5	आंगनबाड़ी कर्मियों हेतु कल्याण कोष
6	उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना
7	बाल कल्याण निधि
8	मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना
9	किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकीन की व्यवस्था

आई0सी0डी0एस0 (Integrated Child Development Services)

प्रमुख घटक (Component)

1– सेवाएं:

- अनुपूरक पोषाहार
- स्कूल पूर्व शिक्षा
- टीकाकरण,
- स्वास्थ्य जांच
- पोषण एवं स्वास्थ शिक्षा
- रेफरल सेवा

2– लाभार्थी वर्ग :

- 6 माह से 03 वर्ष के बच्चे
- 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे
- गर्भवती महिलायें
- धात्री महिलायें

भौतिक प्रगति

विषय	लक्ष्य सर्वे	उपलब्धि	
आंगनवाड़ी केन्द्रो का संचालन	20067	20048	
लाभार्थियों की स्थिति			
➢ 6 माह से 03 वर्ष के बच्चे	476279	472514	99.20 %
➢ 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे	286209	256199	89.51%
➢ गर्भवती महिलायें	101045	100138	99.10%
➢ धात्री महिलायें	85608	84397	98.59%
योग	949141	913248	96.22%

Source :- MPR July 2021

अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम

1– वित्तीय एवं पोषण मानक

लाभार्थी वर्ग	वित्तीय मानक		पोषण मानक	
	प्रति दिन	प्रति माह (25 दिन)	कैलोरी	प्रोटीन
6 माह से 03 वर्ष के बच्चे	8.00 प्रति दिन	रु0 200.00	500	12–15
03 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे	8.00 प्रति दिन	रु0 200.00	500	12–15
गर्भवती एवं धात्री महिलायें	9.50 प्रति दिन	रु0 237.00	600	18–20
अतिकुपोषित बच्चे	12.00 प्रति दिन	रु0 300.00	800	20–25

राज्य में अनुपूरक पोषाहार की व्यवस्था

1– हॉट कुक्ड मील : आंगनवाड़ी केन्द्र मे आने वाले 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को प्रति दिन सुबह का नास्ता एवं लन्च दिया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है :–

दिन	मार्च से नवम्बर		दिसम्बर से फरवरी	
	सुबह का नास्ता	लन्च	सुबह का नास्ता	लन्च
सोमवार	भुना चना	दाल चावल	भुना चना, गुड़	दाल चावल
मंगलवार	हलवा(गेहूँ अथवा सूजी)	न्यूट्रीला चावल	हलवा बेसन/सूजी मीठे मे गुड़	न्यूट्रीला चावल
बुधवार	भुनी मूंगफली	नमकीन पराठा	भुनी मूंगफली ,गुड	नमकीन पराठा
गुरुवार	पोहा	मीठा या नमकीन दलिया	पोहा	मीठा या नमकीन दलिया
शुक्रवार	उबले चने	मिक्स दाल, चावल	उबले चने	मिक्स दाल, चावल
शनिवार	भुना चना	खिचड़ी	भुना चना, गुड़	खिचड़ी

राज्य में अनुपूरक पोषाहर की व्यवस्था

2– टेक होम राशनः 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रत्येक माह की 5 तारीख को एक माह (25 दिन) हेतु राशन दिया जाता है :–

लाभार्थी वर्ग	सामग्री	प्रति माह की मात्रा
6 माह से 03 वर्ष के बच्चे	दलिया/सूजी	1.50 किलो
	मूंग दाल/ काला भट्ट/ स्थानीय दाल	500 ग्राम
	भुना चना	500 ग्राम
	गुड़/छुहारा	500 ग्राम
गर्भवती एवं धात्री महिलायें	सोयाबीन दाल/स्थानीय दाल/काला भट्ट	1.50– सोयाबीन मूंग दाल–500 ग्रम
	आटा मडुआ/ मिक्स आटा	2 किलो
	नमक	1 पैकेट
	गुड़/छुहारा	500 ग्राम
अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त आहार	अण्डे/फल	सप्ताह में 2 बार (10)
	बादाम/अखरोट	50 रु0 का

अनुपूरक पोषाहार के लाभार्थी

लाभार्थी वर्ग	पंजीकृत लाभार्थी	अनुपूरक पोषाहार का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी	प्रतिशत
6 माह से 03 वर्ष के बच्चे	476279	472514	99.20 %
03 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे	286209	256199	89.51%
गर्भवती महिलायें	101045	100138	99.10%
धात्री महिलायें	85608	84397	98.59%
योग	**949141**	**913248**	**96.22%**

Source :- MPR July 2021

कुपोषण प्रबन्धन

1–राज्य में पोषण की स्थिति

क्र0 सं0	विवरण	संख्या
1	सामान्य बच्चे	**789401**
2	कुपोषित बच्चे	8639
3	अति कुपोषित बच्चे	1185
योग		**799225**

Source :- MPR July , 2021

2–कुपोषण उन्मूलन हेतु किये जा रहे प्रयास

- अनुपूरक पोषाहार।
- ऊर्जा फूड।
- आर0बी0एस0के0 की टीम द्वारा अतिकुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण।
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गत सप्ताह में 04 दिन दूध वितरण।
- गोद अभियान।
- बाल पालाश योजनान्तर्गत सप्ताह में 04 दिन अण्डा एवं केला वितरण।

कुपोषण प्रबन्धन

गोद लिये गये बच्चो का विवरण :

गोद लिए गये अतिकुपोषित /कुपोषित बच्चों की संख्या	अतिकुपोषित /कुपोषित की श्रेणी से सामान्य श्रेणी में आये कुल बच्चों की संख्या	ग्रेड सुधार हुए बच्चों की संख्या
9177	1964	385

पोषण अभियान

- मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 08 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारम्भ किया गया।
- मुख्य उद्देश्य– देश को कुपोषण से मुक्त करना।

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

पोषण के पांच सूत्र

पोषण अभियान

2–योजना के महत्वपूर्ण घटकः

➢ आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पोषण ट्रैकर ऐप लांच किया गया है, जिसे आ.वा. कार्यकर्त्री के मोबाइल में Install किया जा चुका है। इसके माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों की Real time निगरानी की जा रही है।

➢ पोषण अनुश्रवण हेतु वजन एवं लंबाई आंकलन के लिए 04 प्रकार की मशीनों की उपलब्धता।

➢ प्रत्येक माह की 14 एवं 22 तारीख को प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर समुदाय आधारित गतिविधियां (सी0बी0ई0) जैसे– गोदभराई, अन्नप्राशन आदि का आयोजन।

➢ आंगनवाड़ी कर्मियों की पोषण प्रबन्धन, स्तनपान, समुदाय के साथ वार्ता, बच्चों के विकास क्रम के चरण, एनीमिया, उपरी आहार, किशोरावस्था में देखभाल, टीकाकरण आदि 21 विषयों (ILA) पर प्रशिक्षण पर्ण।

➢ **आंगनवाडी कर्मियों को प्रोत्साहन–** पोषण ट्रेकर के माध्यम से प्रोत्साहन राशि हेतु भारत सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को प्रतिमाह रू0 500/– सहायिकाओं को रू0 250/– देने हेतु दिशा–निर्देश अपेक्षित है।

➢**जन आंदोलन–** व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रचार–प्रसार एवं सामुदायिक संवेदीकरण।

- पोषण रथ के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता।
- Webinar
- वृक्षारोपण
- योगा
- स्थानीय खाद्यान्नों में निर्मित पोषण किट का वितरण
- कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों का चिन्हिकरण करते हुए पौष्टिक आहार उपलब्ध

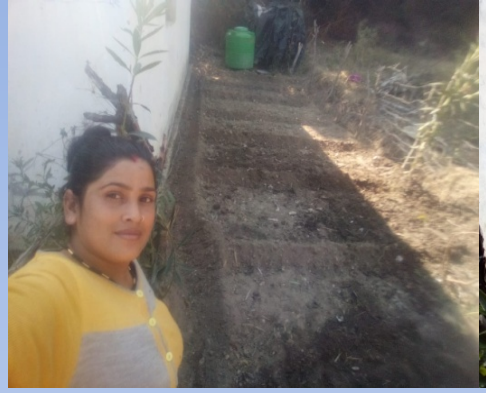

➢ **फ्लैक्सी फण्ड–**

- पोषण अभियान के कुल बजट का 7 प्रतिशत।
- प्रमुख गतिविधियां आंगनबाड़ी केन्द्रों में न्यूट्री गार्डन, सोलर कुकर, हाईड्रोपोनिक एवं गमलो में सब्जी के उत्पादन।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु फ्लैक्सी फण्ड मद के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव गतिमान है जिसे शीघ्र ही SLSC में प्रस्तुत किया जायेगा।

➢ **नवाचार–** नवाचार के अन्तर्गत कोविड काल में आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्वच्छता किट उपलब्ध करायी गयी है।

पोषण अभियान के अन्तर्गत किये गये प्रमुख कार्य

क्र0 सं0	कार्य का नाम	भौतिक प्रगति
1	आंगनवाड़ी कर्मियों हेतु मोबाईल का क्रय	20067
2	ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाईस का क्रय	20067
3	आई0एल0ए0 प्रशिक्षण	19515
4	गोद भराई की गतिविधि	
5	अन्न प्राशन की गतिविधि	
6	न्यूट्री गार्डन	130
7	स्वच्छता किट	25211
8	सोलर कूकर	105
9	हाईड्रोफोनिक	100

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

योजना का प्रारम्भ – 01 जनवरी, 2017

मा0 प्रधानमंत्री जी की एक महत्वकांक्षी योजना, समस्त जनपदों में लागू है। केवल प्रथम बच्चे के होने पर ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माता स्वंय केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के नियमित रोजगार में है, को इस योजना से लाभ नहीं दिया जायेगा।

योजना के उद्देश्य

- गर्भवती महिला का शीघ्र पंजीकरण।
- गर्भावस्था के दौरान कम से कम तीन जाँच।
- संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन।
- जन्म पंजीकरण एवं सम्पूर्ण टीकाकरण।

किश्त	अर्हताएं	समयावधि	धनराशि
प्रथम	आंगनवाड़ी केन्द्र में गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण करवाने पर	गर्भधारण के 150 दिन के भीतर	रू0 1000
द्वितीय	कम से कम एक प्रसव पूर्व जॉच करवाने पर	गर्भधारण के 180 दिन पूर्ण होने के उपरान्त	रू0 2000
तृतीय	संस्थागत प्रसव/जन्म पंजीकरण/ टीकाकरण	जन्म के 3.6 माह उपरान्त	रू0 2000

Year wise PMMVY G.O.I. Target &Achievement :

S.N.	Name of Districts	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement (upto 27 July, 2021)
01	02	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	Almora	3992	1361	3992	2612	5030	2513	3224	2886	3224	815
2	Bageshwar	1790	611	1790	1461	2255	1613	1431	1454	1431	394
3	Chamoli	2313	458	2313	1553	2915	1906	2163	2019	2163	760
4	Champawat	1461	850	1461	1541	1841	1416	1556	1360	1556	558
5	Dehradun	4093	6903	4093	7003	5157	9248	11558	9853	11558	2840
6	Haridwar	6822	4007	6822	7601	8596	9326	13174	9489	13174	1535
7	Nainital	3039	4099	3039	6171	3829	5139	6170	5531	6170	1300
8	Pauri	3977	1635	3977	2431	5011	2826	3566	3275	3566	934
9	Pithoragarh	2384	1059	2384	2075	3004	2390	2677	1803	2677	457
10	Rudraprayag	1485	511	1485	1217	1871	1246	1294	1619	1294	466
11	Tehri	4329	2163	4329	2879	5454	3084	3302	4066	3302	1404
12	US Nagar	5123	5281	5123	10083	6455	8480	11288	10329	11288	2625
13	Uttarkashi	2258	599	2258	1765	2845	1862	1919	2041	1919	762
Total		43066	29537	43066	48392	54263	51049	63322	55725	63322	14850
			68%		112%		94%		88%		23%

आंगनवाड़ी भवन निर्माण

योजनान्तर्गत वर्तमान में भारत सरकार द्वारा रू0 1.00 लाख, मनरेगा द्वारा रू0 5.00 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 1.50 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है।

जनपद	स्वीकृत केन्द्र मुख्य एवं मिनी	पूर्व निर्मित आं0बा0 भवन	वर्ष 2019–20 में स्वीकृत भवन	अवमुक्त धनराशि रू0 लाख में	वर्ष 2020–21 में स्वीकृत भवन
देहरादून	1907	260	97	727.50	75
हरिद्वार	3179	1121	225	1687.50	75
टिहरी गढ़वाल	2017	556	106	795.00	70
उत्तरकाशी	1052	290	153	1147.50	45
पौड़ी गढ़वाल	1853	379	151	1132.50	75
रुद्रप्रयाग	692	200	91	682.50	40
चमोली	1078	294	100	750.00	70
उधमसिंह नगर	2387	777	225	1687.50	75
नैनीताल	1416	321	95	712.50	75
अल्मोड़ा	1860	430	200	1500.00	75
बागेश्वर	834	121	75	562.50	40
पिथौरागढ़	1111	403	75	562.50	45
चम्पावत	681	156	145	1087.50	40
योग	**20067**	**5308**	**1738**	**13035.00**	

नोट – वर्ष 2019–20 में स्वीकृत केन्द्रों हेतु रू0 5.00 लाख मनरेगा, रू0 2.00 लाख केन्द्र सरकार एवं रू0 0.50 लाख राज्य सरकार से दिये गये है।

भवन निर्माण

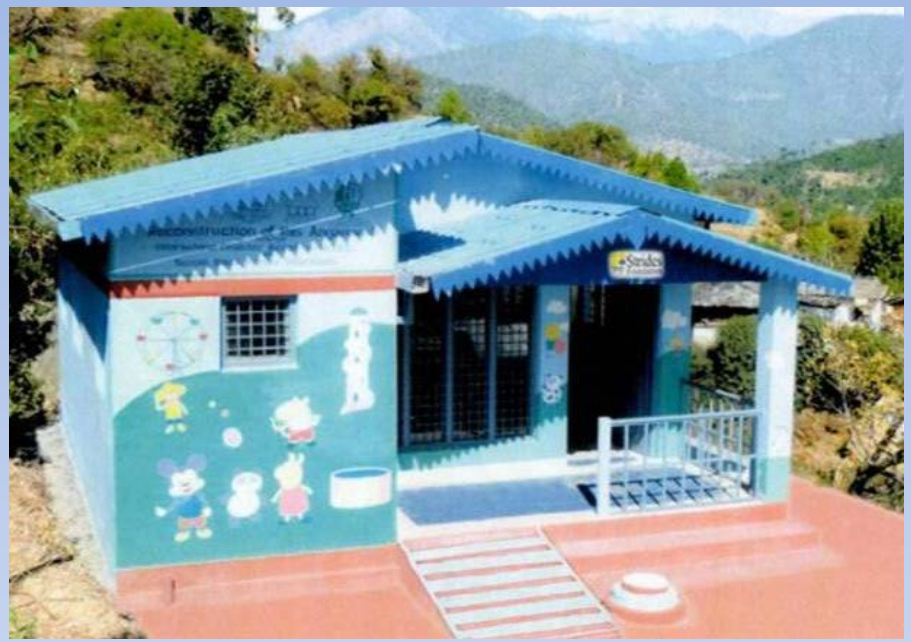

आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल की स्थिति

क्र0 सं0	जनपद	स्वीकृत आ0बा0 केन्द्र	संचालित आं0बा0 केन्द्र	जल युक्त आं0बा0 केन्द्र	जल विहिन आं0बा0 केन्द्र
1	अल्मोड़ा	1860	1860	1095	765
2	बागेश्वर	834	834	800	34
3	चमोली	1078	1078	782	296
4	चंपावत	681	681	635	46
5	देहरादून	1907	1907	1586	321
6	हरिद्वार	3179	3179	2670	509
7	नैनीताल	1416	1416	1413	3
8	पौड़ी	1853	1853	1193	660
9	पिथौरागढ़	1111	1111	958	153
10	रुद्रप्रयाग	692	692	404	288
11	टिहरी	2017	2017	1786	231
12	ऊ0सि0नगर	2387	2387	2376	11
13	उत्तरकाशी	1052	1033	1017	16
	कुल योग	**20067**	**20048**	**16715**	**3333**

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारम्भ

- **योजना की प्रारम्भ** : 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से ।
- दिनांक 08 मार्च 2018 को झुंझनु, राजस्थान से योजना का विस्तारीकरण समस्त जनपदों में।

समग्र लक्ष्य

❖बालिका जन्मोत्सव मनाना एवं बालिकाओं को शिक्षा दिलाना।

उद्देश्य

❖जेन्डर आधारित पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की रोकथाम एंव समापन।
❖बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना।
❖बालिका की शिक्षा सुनिश्चित करना।

- **चरणबद्ध चयनित जिले एंव चयन का मापदण्ड**

❖वित्तीय वर्ष 2014–15 – जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर से कम ।
❖वित्तीय वर्ष 2015–16 – देहरादून, हरिद्वार एवं चमोली का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर से अधिक था किन्तु लिंगानुपात में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी गयी ।
❖वित्तीय वर्ष 2018–19 उक्त अन्य समस्त जनपदों को चयनित किया गया जिसमें लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक एंव बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शायी गयी ।

उत्तराखण्ड राज्य वर्षवार जन्म के समय लिंगानुपात (एच0आई0एम0एस0 के अनुसार)

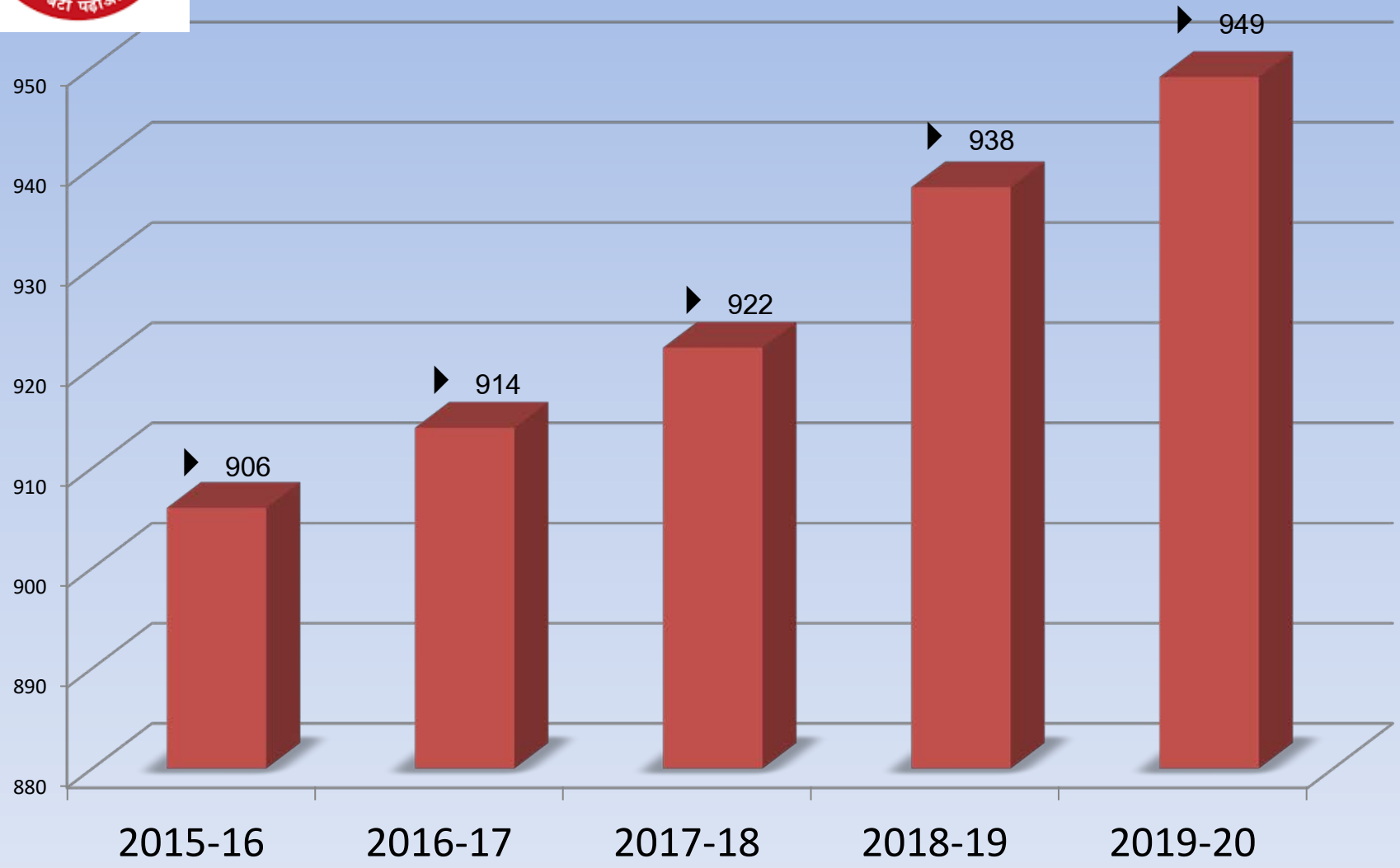

जनपदवार जन्म के समय लिंगानुपात (एच.एम.आई.एस.)

जनपद	2014–15	2015–16	2016–17	परिवर्तन वर्ष 2014–16 से 2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	परिवर्तन वर्ष 2017–18 से 2019–20	परिवर्तन वर्ष 2014–15 से 2019–20
उत्तराखण्ड	903	906	914	11	922	938	949	27	46
अल्मोड़ा	908	900	947	39	932	972	980	48	72
बागेश्वर	936	894	925	-11	931	956	1012	81	76
चमोली	882	944	893	11	902	895	864	-38	-18
चम्पावत	887	959	973	86	923	895	971	48	84
देहरादून	907	933	923	16	936	935	969	33	62
हरिद्वार	912	876	917	5	919	938	955	36	43
नैनीताल	945	918	884	-61	906	941	906	0	-39
पौड़ी	876	892	898	22	902	917	949	47	73
पिथोरागढ़	881	901	873	-8	883	904	887	4	6
रूद्रप्रयाग	891	1010	891	0	904	926	924	20	33
टिहरी	937	915	957	20	913	926	945	32	8
ऊधमसिंह नगर	883	893	908	25	940	961	957	17	74
उत्तरकाशी	864	903	971	107	926	926	968	42	104

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां

• **24 जनवरी 2019** को 'राष्ट्रीय बालिका दिवस' के सुअवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **जनपद देहरादून** को देश के 16 सर्वश्रेष्ठ जनपदों में शामिल कर योजना में ''**समुदाय की प्रभावी सहभागिता**'' हेतु पुरस्कृत किया गया है।

• **07 सितम्बर 2019** को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विगत 05 वर्षों में ''**जिले में बेहतर कार्य तथा बेटी के जन्म के समय लिंगानुपात में निरन्तर वृद्धि**'' के लिए **जनपद उधमसिंहनगर** को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 राज्य में शामिल कर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

• **05 मार्च 2020** को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत ''**क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस**'' नामक पुस्तिका में देश के 25 राज्यों द्वारा अभिनव पहलों का संकलन करते हुए जनपद नैनीताल के द्वारा ''**वॉल पेन्टिंग – प्रचार–प्रसार की नवाचार पहल**'' को पुरूस्कृत किया गया है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत अभिनव गतिविधियां

रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण

रथ वाहिनी द्वारा प्रचार

सैन्य प्रशिक्षण लैन्सडाउन

आत्मरक्षा प्रशिक्षण

बेटियां बनी एक दिन की अधिकारी

पर्वातारोहण प्रशिक्षण

आत्मरक्षा प्रशिक्षण

वॉल पैन्टिंग

दगड़िया पुस्तक विमोचन

सखी वन स्टॉप सेन्टर

- एकल खिडकी प्रणाली के अन्तर्गत दुर्व्यवहार/अपराध से पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब आवश्यक सेवाएं, सहायता, सुरक्षा एवं सरंक्षण प्रदान कर उनके पुनर्वास हेतु
  - आश्रय
  - चिकित्सकीय
  - कानूनी सलाहकार
  - पुलिस सुविधा
  - परामर्शदाता की सेवाएं एक ही परिसर के अन्तर्गत 24X7 उपलब्ध करायी जाती हैं।
- प्रथम चरण में (वर्ष 2017–18 तक) चार जनपदों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में सफलतापूर्वक संचालित।
- द्वितीय चरण में (वर्ष 2018–19) शेष समस्त जिलों में संचालित।

सखी वन स्टॉप सेन्टर 24x7 सेवाएं

वन स्टॉप सेन्टर

वर्ष 2016 से अगस्त 2021 तक पंजीकृत केसों का विवरण

विवरण	घरेलू हिंसा	रेप	यौन उत्पीड़न	एसिड अटैक	महिला / बालिका तस्करी	बाल यौन उत्पीड़न	बाल विवाह	गुमशुदा / अपहरण	साइबर क्राइम	दहेज उत्पीड़न	अन्य अपराध	कुल योग
पंजीकृत	3078	67	162	5	23	155	41	128	49	29	763	4500
निस्ता0	2422	52	118	5	23	107	32	126	43	21	636	3585
लम्बित	656	15	44	0	0	48	9	2	6	8	127	915

वन स्टॉप सेंटर द्वारा प्रदान की गयी आश्रय एवं कोर्ट केस का विवरण

राज्य	आश्रय	क्षतिपूर्ति	पंजिकृत कोर्टकेस	निस्तारित कोर्ट केस	लम्बित कोर्ट केस
उत्तराखण्ड	369	125	534	292	216

वन स्टॉप सेन्टर

वन स्टॉप सेन्टर भवनों की स्थिति (मानक रू0 50 लाख प्रति)		
निर्मित	07	अल्मोड़ा, चम्पावत, देहरादून, रूद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ एवं उत्तराकाशी
अन्य भवन पर संचालित	06	बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, हरिद्वार, टिहरी एवं ऊधमसिंह नगर
निर्माणाधीन	03	चमोली, टिहरी एवं ऊधमसिंह नगर
प्रस्ताव प्रक्रियारत	02	हरिद्वार एवं बागेश्वर
वन स्टॉप सेन्टर भवन निमार्ण/मरम्मत हेतु प्राप्त रू0 371.00 लाख बजट के सापेक्ष व्यय रू0 326.33 है।		

CALL 181
WOMEN HELPLINE
ADVICE • RESCUE • COUNSELING

राष्ट्रीय महिला हैल्पलाइन 181 (टोल फ्री 24X7)

महिलाओं एवं किशोरियों को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन परिस्थितियों में
आवश्यक एवं त्वरित सहायता/ सेवा प्रदान करने हेतु
संचालित हैल्पलाईन नम्बर 181 (18001804219)

सेवाएं

- 24X7 (किसी भी समय) नि:शुल्क टोल फ्री सुविधा।
- महिलाओं/ किशोरियों के कल्याणार्थ विभिन्न विभागो द्वारा संचालित योजानाओं/ परियोजनाओं/ नीतियों/ अधिकार/ नवाचार की जानकारी प्रदान कर पहुंच सुनिश्चित करना।
- आपातकालीन स्थिति / महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा/ अपराध जैसे- घरेलू हिंसा/ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, तेजाब हमला, छेड़छाड़, यौन उत्पीडन, साईबर क्राईम के सापेक्ष, पुलिस विभाग से समन्वय कर त्वरित एवं आवश्यक कार्यवाही करना।
- महिलाओं/ किशोरियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु उचित रेफरल सेवाएं तथा वन स्टॉप सेन्टर, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग आदि प्रदान करना।
- मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन एवं नि:शुल्क परामर्श देना।
- रेस्क्यू वैन की सुविधा 24x7 प्रदान कराना।

Cases Registered at State Women Helpine 181, Uttarakhand (from Starting to 31st August 2021)

S. NO	CASE TYPE	Feb 16 to March 17	April 17 to March 18	April 18 to March 19	April 19 to March 20	April 20 to March 21	April 21 to August 21	Total Registered	Total Resolved	Total Pending
1	DOMESTIC VIOLENCE	90	210	310	443	501	151	1705	1672	8
2	RAPE	0	1	3	2	0	0	6	6	0
3	SEXUAL HARRASMENT	9	18	14	23	28	2	94	93	1
4	ACID ATTACK	1	2	0	0	0	0	3	3	0
5	Women Trafficking	0	1	0	0	1	0	2	2	0
6	CHILD SEXUAL ABUSE	5	3	6	8	5	1	28	28	0
7	Child Marriage	0	0	3	1	6	3	13	12	0
8	MISSING /KIDNAPPING	4	23	20	16	9	5	77	75	1
9	CYBER CRIME	67	77	129	158	103	29	563	552	0
10	DOWRY HARRASMENT	18	30	46	50	17	5	166	165	0
11	ANY OTHER CRIME	52	128	161	136	173	52	702	687	1
12	SCHEME RELATED	71	39	35	156	68	10	379	377	0
13	ADVICE AND INFORMATION	230	260	125	77	213	205	1110	1053	0
14	COVID-19 related	0	0	0	35	272	0	307	307	0
GRAND TOTAL		547	792	852	1105	1396	463	5155	5032	11

महिला शक्ति केन्द्र योजना

- **शुभारम्भ – 2017–18**

- **मुख्य उद्देश्य** – अन्य विभागों/स्वयं सेवी संस्थाओं से अभिसरण द्वारा ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एक कड़ी के रूप में कार्य करना।

➢ महिला शक्ति केन्द्र टीम द्वारा वर्ष 2019–20 से माह मार्च 2021 तक की गयी गतिविधियां निम्नवत हैः–

• जन–जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा 1525958 लोगों तक जागरूकता के माध्यम से आच्छादन के सापेक्ष 557328 लाभार्थियों महिलाओं/बालिका केन्द्र योजना हेतु आवेदन के क्रम में कुल 367910 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

निर्भया फण्ड योजना (केन्द्र पोषित)

- उद्देश्य – महिलाओं/बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना।
- वर्ष 2017–18 से उत्तराखण्ड में संचालित।
- सम्मिलित जनपद – अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर ।
- चिन्हित ग्रामों में महिला सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी एवं वृहद् जागरूकता।
- वर्तमान तक कुल 2500 प्रतिभागियों को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित किया गया ।

Scheme For Adolescent Girls (SAG)

राज्य में 11–14 वर्ष की स्कूल ड्राप आउट बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना एवं उनके पोषण स्तर में सुधार लाना है। योजना के दो घटक है

- पोषाहार घटक – चिन्हित किशोरियो को प्रति दिन पोषाहर उपलब्ध कराना
- गैरपोषाहार घटक – जीवन कौशल/कौशल विकास प्रशिक्षण

भारत सरकार की स्वीकृति हेतु 33 परियोजनाओं की कुल 5936 किशोरी बालिकाओं हेतु कार्ययोजना प्रस्ताव तैयार कर शासन प्रेषित किया गया।

कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण

जनपद हरिद्वार

- 96 कमरों में 192 व्यक्तियों के रहने की क्षमता।
- सुविधा– मैस, पुस्तकालय, जिम, टी0वी0 हॉल, क्रैच आदि।
- वर्तमान में 55 लड़कियां निवासरत।

जनपद देहरादून

- 96 कमरों में 192 व्यक्तियों के रहने की क्षमता।
- सुविधा– मैस, पुस्तकालय, जिम, टी0वी0 हॉल, क्रैच आदि।

रूद्रपुर में कामकाजी महिला छात्रावास प्रस्तावित।

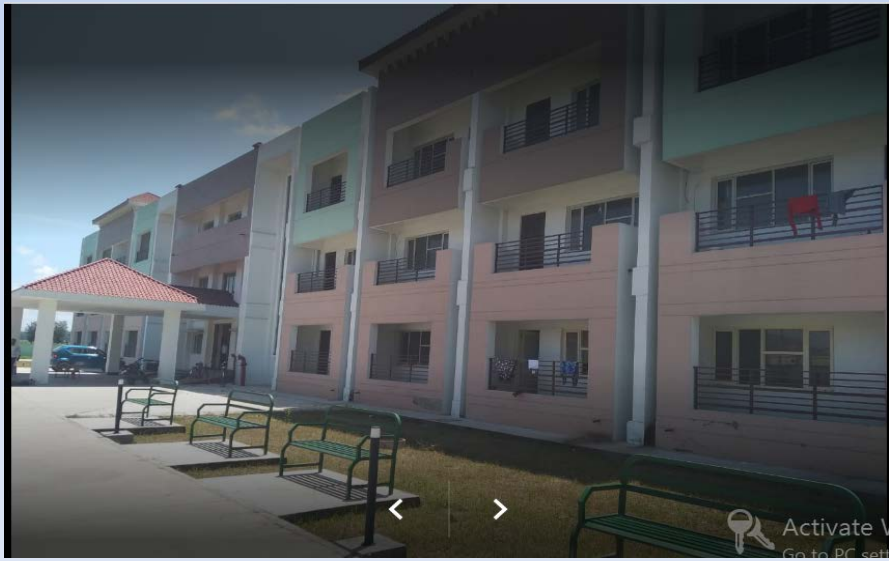

नन्दा गौरा योजना

- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर ''नन्दा गौरा योजना'' का क्रियान्वयन।
- **मुख्य उद्देश्य**– कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, समाज में लैंगिक असमानता को दूर करना, उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना।

- लाभ उन परिवारों की प्रथम 02 बालिकाओं को, जिनकी वार्षिक आय रू0 72000.00 से कम।

- योजनान्तर्गत कुल दो चरणों में धनराशि देय :

  प्रथम चरण – बालिका के जन्म पर रू0 11,000/–

  द्वितीय चरण – कक्षा 12 उर्त्तीण करने पर रू0 51,000/–

नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत वर्षवार प्रगति

क्र0सं0	जनपद का नाम	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या				
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**योग**
1	अल्मोड़ा	78	1935	6443	1396	9852
2	बागेश्वर	2602	2991	2736	1112	9441
3	चमोली	361	1551	1961	2162	6035
4	चम्पावत	124	2513	2273	790	5700
5	देहरादून	1093	4534	4835	882	11344
6	हरिद्वार	67	737	3749	2662	7215
7	नैनीताल	2200	9660	7008	2432	21300
8	पौड़ी गढ़वाल	42	1750	1466	4276	7534
9	पिथौरागढ़	0	2259	3092	2028	7379
10	रूद्रप्रयाग	239	2411	798	1188	4636
11	टिहरी गढ़वाल	207	4200	2140	4852	11399
12	ऊधमसिंह नगर	1679	7304	3001	6895	18879
13	उत्तरकाशी	645	1539	4581	1535	8300
	योग	**9337**	**43384**	**44083**	**32210**	**129014**

मुख्यमंत्री बाल पोषण – बाल पालाश योजना

- स्कूल पूर्व शिक्षा के 03 से 06 वर्ष के बच्चों (1,70,000) को अतिरिक्त पोषाहार
- सप्ताह में 02 दिन (सोमवार व मंगलवार को केला)
- सप्ताह में 02 दिन (बुधवार व शनिवार को अण्डा)

जनपद	3 से 6 वर्ष के बच्चे	
	2019–20	2020–21
almora	10384	13556
bageshwar	5145	6294
chamoli	7415	9893
champawat	5680	7086
dehradun	16324	22942
haridwar	39929	62925
nainital	12964	17869
pauri	6932	10566
pithoragarh	7237	9097
rudraprayag	5175	6342
tehri	11242	13404
usnagar	32151	50412
uttarakashi	9099	8539
Total	169677	238925

Nutritive Value (Banana ripe /100g)	
Energy (Kcals)	116
Calcium (mg)	17
Protein (g)	1
Phosphorus (mg)	36

Nutritive Value (Egg/100g)	
Energy (K cal)	173.0
Protein (g)	13.3
Calcium (mg)	60.0
Phosphorus (mg)	220.0
Iron (mg)	2.1
Folic acid (µ/g)	78.3

मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन के मानकानुसार प्रतिदिन प्रति बच्चा 10 ग्राम दूध पाउडर से 100 मि0ली0 दूध तैयार कर दिया जा रहा है।

- 03 से 06 वर्ष के बच्चों को फर्टिफाइड विटामिन ए व डी युक्त सुगन्धित दूध
- सप्ताह मे 04 दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार
- राज्य में कुल 1 लाख 70 हजार बच्चों को लाभ
- दो दिन प्रति लाभार्थी रू0 3.20 व्यय
- दो दिन प्रति लाभाथी रू0 3.70 व्यय

Flavours:

- **Rose**
- **Vanilla**
- **Chocolate**

Details	Uttarakhand Anchal Amrit Yojna
Quantity	10 gms
Energy Value	372 Kcal
Protein	23.06 g
Calcium	819.9 mg
Iron	0.172 mg

तीलू रौतेली पुरस्कार

- राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार, उत्तराखण्ड की वीरांगना ''तीलू रौतेली'' के नाम पर स्थापित।

- महिलाओं एवं किशोरियों के द्वारा विभिन्न *क्षेत्रों–सामाजिक, शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, साहस व बहादुरी* के उत्कृष्ट कार्य के लिए।

- राज्य की कुल 23 महिलाओं एवं किशोरियों को रू0 31000.00 की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पुरस्कृत महिला/किशोरियों की संख्या
1	अल्मोड़ा	03
2	बागेश्वर	02
3	चम्पावत	01
4	चमोली	01
5	देहरादून	04
6	हरिद्वार	01
7	नैनीताल	01
8	पिथौरागढ	04
9	पौड़ी गढवाल	01
10	टिहरी गढवाल	01
11	रूद्रप्रयाग	0
12	ऊधमसिंह नगर	03
13	उत्तरकाशी	01
	योगः–	**23**

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना

उद्देश्यः प्रसव उपरान्त माता एवं कन्या शिशु की देखभाल एवं पोषण को प्रोत्साहित करने हेतु महालक्ष्मी किट का वितरण किया जा रहा है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2021 को योजना का शुभारम्भ किया गया।

जनपद	लाभार्थी
almora	1002
bageshwar	411
chamoli	564
champawat	537
dehradun	3030
haridwar	3537
nainital	1230
pauri	684
pithoragarh	672
rudraprayag	324
tehri	741
usnagar	3105
uttarakashi	1092
Total	16929

आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष

शुभारम्भ वर्ष – 2015–16

उद्देश्य – आंगनवाड़ी कार्मिकों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा उपरान्त सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने हेतु आधार प्रदान करने के उद्देश्य से पारितोषिक प्रदान करना।

वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	योजना का नाम	कॉर्पस फण्ड	आंगनवाड़ी कर्मी अंशदान	ब्याज
1	आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष	**15,00,00,000.00**	**13.57 cr**	**3.67 cr**

उपलब्धियां:– माह अगस्त, 2021 तक 652 लाभार्थियों को धनराशि रूपये 2.16 करोड़ से लाभान्वित किया गया है।

उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना

- **दृष्टि–** सशक्त महिलाओं का निर्माण जो निर्णय प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रगति में प्रभावी योगदान सुनिश्चित करें।

- **ध्येय–** महिला विकास परक परियोजना गतिविधियों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना, जो महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को सम्बोधित करती हों।

- **उद्देश्य–**
  - महिलाओं के कार्यबोझ में कमी।
  - दृष्टिकोण परिवर्तन एवं लिंगभेद संवेदीकरण।
  - पंचायती राज संस्थाओं में निर्णय प्रक्रिया के अन्तर्गत महिलाओं की सक्रिय प्रतिभागिता को बढ़ाना।
  - लाभप्रद स्वरोजगार
  - समन्वयन।

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु कुल स्वीकृत नवीन परियोजनाऐंः–08 मुख्य गतिविधियां–मशरूम, मासाला उत्पादन व मार्केटिंग, पोल्ट्री फार्म, हैण्डी क्राफ्ट, मौन पालन एवं रेशम उत्पादन, हथकरघा व्यवसाय, अस्तपताल जी0डी0ए0, जूट फाइबर्स के विभिन्न उत्पादों के द्वारा महिला आजीविका संर्वधन। **लाभार्थी–**43 स्वयं सहायता समूह 3021 लाभाान्वित। **वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु 64.44 लाख उपभोग।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 09 परियोजनाओं हेतु 61.86 लाख धनराशि निर्गत की गई।

मुख्य गतिविधियां–पोल्ट्री, मशरूम, मधुमक्खी पालन, डेयरी फ्लोरिकल्चर, मौसमी चारा बीज वितरण,घास रूट्स, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, पौष्टिक लड्डू एंव आवंला कैण्डी वितरण। **लाभार्थी–**193 स्वयं सहायता समूह, 3627 लाभार्थी लाभान्वित। **वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु 110.00 लाख उपभोग।**

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कुल स्वीकृत नवीन परियोजनाऐंः–04 मुख्य गतिविधियां–श्री केदारनाथ सोविनियर, पारम्परिक उत्पादों मंढ़वा, झगौरां, जौ आदि पर आधारित बेकरी यूनिट, पॉलीहाउस, बे मौसमी सब्जी, पौध नर्सरी, वर्मी कम्पोस्ट, टिमरू, फ्लोर मिल, मँडुआ के आटे से बने बिस्कुट, मौन पालन। **लाभार्थी–**141 स्वयं सहायता समूह 1092 लाभान्वित। **वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु 65.07 लाख उपभोग।**

वित्तीय वर्ष 2020–21 में निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा करते हुए 09 अर्हय प्रस्तावों को परियोजना स्वीकृति समिति हेतु अग्रसारित किया गया। **वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु 01.43 करोड उपभोग।**

बाल कल्याण निधि
(बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम)

स्थापना – 2006

- **<u>योजना के उद्देश्य–</u>**
- बाल कल्याण हेतु सृजनात्मक, समानता, आत्म गौरव, नैतिक मूल्यों का विकास, उद्बोध एवं शैक्षिक संबन्धित गतिविधियों का सृजन करना।
- बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन प्रदान करना।
- बाल अधिकार से सम्बन्धित मुद्दों पर कार्यशाला, अध्ययन, सूचना शिक्षा संचार सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन।

बाल कल्याण निधि

वित्तीय वर्ष	वित्तीय प्रगति	उपलब्धियां
वर्ष 2016 व 2017 हेतु	30.34 लाख	उत्तराखण्ड बोर्ड में 10वीं व 12वीं में जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा 12वीं में विकासखण्ड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली **307 छात्राओं** के उत्साहवर्धन हेतु शैक्षिक एवं सुरक्षा एप्लीकेशन से अपलोडेड निःशुल्क कम्प्यूटर टैबलेट का वितरण।
वर्ष 2018 व 2019 हेतु	27.31 लाख	पूर्व की भांति **307 छात्राओं** के उत्साहवर्धन हेतु शैक्षिक एवं सुरक्षा एप्लीकेशन से अपलोडेड स्मार्ट फोन का निःशुल्क वितरण। 190 किशोर/किशोरियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
वर्ष 2020–2021 हेतु	14.90 लाख	159 छात्राओं को उत्साहवर्धन हेतु शैक्षिक एवं सुरक्षा एप्लीकेशन से अपलोडेड निःशुल्क स्मार्ट फोन का वितरण।

मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना

उद्देश्य–

- निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना।
- निराश्रित, विधवा एवं निर्बल महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा का आधार प्रदान करना।
- महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था में सम्मान जनक जीवन व्यतीत करने हेतु स्थायित्व प्रदान करना।
- समस्त निर्बल वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुए स्वाबलम्बन की ओर अग्रसर करना।
- योजनान्तर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षणोपरान्त रू0 50,000/- तक सीड अनुदान एवं प्रशिक्षण अवधि में रू0 1000/- की छात्रवृत्ति का प्राविधान।

मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना

वित्तीय वर्ष	वित्तीय प्रगति	उपलब्धियां
2017–18	5.24 लाख	• 18 सखी महिला ई–रिक्शा का वितरण (जनपद देहरादून–07,हरिद्वार–02, चम्पावत–02, नैनीताल–02 एवं पौड़ी गढ़वाल–05)। • जनपद देहरादून, सुद्धोवाला जेल परिसर की कुल **39 महिला कैदियों** को उनके आवश्यकता एवं मांग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निसबड के माध्यम से दिनांक 14 जुलाई 2018 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। • जनपद देहरादून के अस्थल गांव में **14 महिलाओं** हेतु 'स्वालम्बन फैशन डिजाईनिंग' पर आधारित सिलाई एवं बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
2018–19	37.05 लाख	
वर्तमान वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित कार्यवाही प्रक्रियागत–		रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत प्रमाणित सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नॉलॉजी (सीपेट), हरिद्वार रोड, भानियावाला के साथ समन्वयन कर प्लॉस्टिक टैक्नॉलॉजी के क्षेत्र में 120 बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्रदान करने हेतु प्रक्रिया गतिमान।

किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं हेतु सेनेटरी नैपकिन की व्यवस्था

लक्ष्य–

उत्तराखण्ड राज्य की महिलाओं, किशोरियों एवं बालिकाओं को कम लागत में सेनेटरी नैपकिन की पहुंच सुनिश्चित करना।

उद्देश्य–

- किशोरी बालिकाओं को संक्रमण से बचाव हेतु व्यक्तिगत स्वच्छता एवं बेहतर स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतों को बढ़ावा देना।
- किशोरी बालिकाओं को सेनेटरी नैपकिन के उपयोग हेतु जागरूक करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों/दूरस्थ क्षेत्रों में सेनेटरी नैपकिन की पहुंच सुनिश्चित करना।
- महिलाओ/किशोंरियों/बालिकाओं में सेनेटरी नैपकिन के इस्तेमाल के सम्बन्ध में उनमें निहित झिझक को दूर करना।

किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं हेतु सेनेटरी नैपकिन की व्यवस्था

वित्तीय वर्ष	वित्तीय प्रगति	उपलब्धियां
2017–18	16.29 लाख	नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, टिहरी गढ़वाल एवं बागेश्वर में सैनेटरी नैपकिन यूनिट स्थापना। देहरादून के MKP कॉलेज एवं नारी शिल्प, इण्टर कॉलेज में **सैनेटरी नैपकिन वैंडिंग मशीन की स्थापना।** 75 बालिकाओं को सैनेटरी नैपकिन का वितरण एवं पैडमेन मूवी प्रदर्शन तथा 10090 बालिकाओं को डोईवाला इण्टर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन किट का वितरण।
2018–19	57.72 लाख	पौडी गढ़वाल एवं हरिद्वार में सैनेटरी नैपकिन इकाई की स्थापना हेतु धनाबंटन। 7635 लाभार्थियों को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन वितरण। कुल 1,77,780 सैनेटरी नैपकिन पैकेट आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरण।
2019–20	20.28 लाख	5500 लाभार्थियों को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन वितरण।
2020–21	2.05 करोड प्रस्तावित	धनराशि रू0 6/– की सब्सडाईज दर से महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन पैकेट (6 पैड प्रति पैकेट) कुल 18 लाख पैकेट उपलब्ध करवाये जा चुके हैं।
2021–22	5.67 करोड़	धनराशि रू0 6/– की सब्सडाईज दर से महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन पैकेट (6 पैड प्रति पैकेट) कुल 49.81 लाख पैकेट उपलब्ध करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

निदेशालय महिला कल्याण

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड

महिला कल्याण विभाग की पृष्ठभूमि

महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनाथ, परित्यक्त, निश्रारित, शारीरिक एंव मानसिक रूप से दिव्यांग व विधि का उल्लघंन करने वाले बच्चों/महिलाओं हेतु संस्थाऐं संचालित है जिनमें उक्त श्रेणी की महिलाओं/बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ–साथ भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, एवं मनोरंजन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

- बाल कल्याण समिति
- किशोर न्याय बोर्ड
- महिलाओं हेतु **राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र**,
- **उज्ज्वला एवं स्वधार गृह**
- बच्चों हेतु **बालगृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान**
- **विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण**,
- भीख मांगने, कूडा बीनने वाले बच्चों हेतु **खुला आश्रय** गृह संचालित है।

विभागीय संस्थाओं का विवरण

- **राजकीय शिशु सदन :** 10 वर्ष तक के अनाथ, निराश्रित, परित्यक्त बालक/बालिकाऐं हेतु।
- **राजकीय बालिका निकेतन/बाल गृह :** 11 से 18 वर्ष के अनाथ निराश्रित, परित्यक्त बालक/बालिकाऐं हेतु।
- **राजकीय सम्प्रेक्षण गृहः** 11 से 18 आयुवर्ग के विधि–विवादित बालक/बालिकाऐं किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से अध्यसीत किया जाता है।
- **राजकीय विशेष गृहः** 11 से 18 आयुवर्ग के विधि–विवादित बालक/बालिकाऐं जिन्हें सिद्धदोष पाया गया हो किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से अध्यसीत होते है।
- **राजकीय सुरक्षा का स्थानः** 15 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के विधि–विवादित बालक/बालिकाऐं जो जघन्य अपराध कारित अथवा सिद्धदोष हो, को किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से अध्यसीत होते है।

- **राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, मानसिक (नारी निकेतन) केदारपुरम, देहरादूनः** वर्ष 2007 से 18 वर्ष से अधिक आयु की मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाओ को राजकीय राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र में प्रवेश दिया जाता है।
- **राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (जिला शरणालय एवं प्रवेशालय):** अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बालिकाओं/महिलाओं को तात्कालिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है।
- **राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका), बागेश्वरः** पर्वतीय क्षेत्र की निराश्रित बालिकाओ को कक्षा–01 से 05 तक की शिक्षा हेतु संचालित।
- **राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, (संरक्षण गृह) अल्मोड़ाः** अनैतिक व्यापार अधिनियम–1956 की धारा 21 के अन्तर्गत अनैतिक देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु गृह की स्थापना की गई है।
- **राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पिथौरागढः** असहाय एवं निराश्रित महिलाओ को स्वावलम्बी बनाये जाने के दृष्टिकोण से रोजगार प्राप्त कराये जाने हेतु जनपद पिथौरागढ में संस्था की स्थापना की गई है।

बाल देखरेख संस्थाओं का विवरण

क्र.सं	जनपद	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	निवासरत संवासी / सवांसिया
1	अल्मोडा	राजकीय शिशु सदन, बख	100	8
2		राजकीय बालिका निकेतन, बख,	100	59
3	देहरादून	राजकीय शिशु सदन, केदारपुरम,	50	11
4		राजकीय बालिका निकेतन, केदारपुरम	50	21
5	हरिद्वार	राजकीय बाल गृह बालक, रोशनाबाद,	100	43
6	अल्मोडा	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बालक, कर्नाटकखोला	30	3
7	देहरादून	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बालक, केदारपुरम	30	7
8	हरिद्वार	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बालक, रोशनाबाद	30	11
9	नैनीताल	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बालक, हल्द्वानी	30	12
10	पौडी	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बालक, गडोली	30	1
11	उधमसिंहनगर	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बालक, रूद्रपुर	30	35
12	उत्तरकाशी	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बालक, डुण्डा	30	1
13	देहरादून	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बालिका, केदारपुरम	25	1
14	पौडी	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बालिका, कोटद्वार	25	2

क्र.सं	जनपद	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	निवासरत संवासी/सवांसिया
15	नैनीताल	राजकीय सम्प्रेक्षण गृह बालिका, हल्द्वानी	25	1
16	अल्मोडा	राजकीय विशेष गृह, बख	25	0
17	हरिद्वार	राजकीय विशेष गृह, रोशनाबाद	25	11
18	पौडी	राजकीय सुरक्षा का स्थान, कोटद्वार	25	0
19	हरिद्वार	राजकीय सुरक्षा का स्थान बालक, रोशनाबाद	25	36
		स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित बालगृह		
1	देहरादून	श्री श्रद्धानन्द बाल वनिता आश्रम,(बालक एवं बालिका) तिलक रोड	30	27
2		श्री श्रद्धानन्द बाल वनिता आश्रम, (बालक) तिलक रोड	20	10
3		श्री श्रद्धानन्द बाल वनिता आश्रम,(बालिका) तिलक रोड	20	10
4		राफेल राईडर, चैशायर इन्टरनेशल सेंटर (बालक) मोहिनी रोड़	60	08
5		राफेल राईडर, चैशायर इन्टरनेशल सेंटर (बालिका) मोहिनी रोड़	60	07
6		एग्नेज कुंज सोसाईटी (होप) प्रोजेक्ट बाल गृह, (बालक/बालिका) ग्राम सिंहनीवाला, देहरादून	300	45
7		दून सारथी, द–सखा सोसायटी, (बालिका) पुष्प विहार, धर्मपुर	15	11
8		इण्डियन हयूमन वेलफेयर सोसाइटी, (बालिका) म.न–48, फेज 2, शक्ति विहार	15	11
9		अपना घर, बाल एवं महिला उत्थान (बालिका) बद्रीपुर	40	32

क्र.सं	जनपद	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	निवासरत संवासी / सवांसियां
10		मैकोम मिनिस्ट्री ट्रस्ट (बालिका) लेन न0 2 टर्नर रोड क्लेमेन्टाऊन	15	12
11		सत्य सांई सेवा आश्रम समिति, (दिव्यांग बालक) आमवाला, धंघोडा, विकासनगर	20	22
12		सत्य सांई सेवा आश्रम समिति, (दिव्यांग बालिका) आमवाला, धंघोडा, विकासनगर	15	08
13		राईज हिमालय (बालिका) 51 / 1 राजपुर रोड ग्रीन वेली	18	07
14	हरिद्वार	मातृ आंचल, (बालिका) कनखल	100	54
15		अनाथ शिशुपालन ट्रस्ट ऑफ इण्डिया श्रीराम आश्रम, (बालक / बालिका) श्यामपुर	100	36
16		वात्सल्य बाटिका, (बालक) बहादराबाद,	80	55
17	नैनीताल	एस.ओ.एस. बालग्राम (बालक) भीमताल	16	14
18		एस.ओ.एस. बालग्राम (बालक) नकुचियाताल	20	17
19		नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाईण्ड (नैब) (बालक / बालिका) गौलापार, हल्द्वानी	110	73
20		हिमालयन नव जीवन संस्थान (बालक) फतेहपुर, हल्द्वानी	50	13
21		यू.एस.आर. इन्दु समिति (बालक) रामनगर	50	22
22		यू.एस.आर. इन्दु समिति (बालिका) रामनगर	50	03

महिला संस्थाएं

संस्था	स्वीकृत क्षमता	संवासी संख्या	बच्चों की संख्या
राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, (मानसिक) देहरादून	105	114	01
राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, अल्मोडा	75	08	0
राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र देहरादून,	25	06	01
राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, कोटद्वार पौडी	25	04	03
राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, हल्द्वानी नैनीताल	25	12	0
महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पिथौरागढ	25	14	0
कार्ड उज्ज्वला गृह, झूलाघाट पिथौरागढ	30	14	0
रीड्स उज्ज्वला गृह टनकपुर चम्पावत	30	0	0
भारतीय आदिम जाति सेवक संघ स्वधार गृह, कालसी, देहरादून	25	0	0
योग	**365**	**182**	**05**

नोट– राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, (मानसिक) देहरादून में 40 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था हेतु निर्माण कार्य गतिमान है।

बाल संरक्षण सेवायें योजना

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत बाल संरक्षण के सशक्त संरक्षणात्मक परिवेश, पालन–पोषण करने, परिवार की देखरेख पाने, प्रतिष्ठा के साथ रहने, हिंसा एवं दुव्यर्वहार से बचने और संरक्षण पाने के उद्देश्य से **"बाल संरक्षण सेवाएं योजना" (CPS)** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से **(90:10 के अनुपात में)** राज्य में संचालित है।

- अनाथ/निराश्रित/परित्यक्त/अभ्यर्पित/शोषित एवं उपेक्षित/भीख मांगने, कूडा बीनने वाले/एच. आई.वी. संक्रमित, निराश्रित दिव्यांग या गंभीर बीमारी से ग्रसित/प्राकृतिक आपदा से पीड़ित/जेल में सजायाफ्ता माता–पिता के बच्चे।
- विधि विवादित बच्चे।
- स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टर केयर योजना।
- आफ्टर केयर योजना।
- राज्य बाल संरक्षण समिति
- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण सलाहकार समिति
- किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति
- जिला बाल संरक्षण इकाई
- विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण

विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण

अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालक/बालिका, जिनका कोई संरक्षक नही है को बाल कल्याण समिति द्वारा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में प्रवेश प्रदान किया जाता है। इन बच्चों को **CARA** के माध्यम से गोद देने की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

क्र. सं	जनपद	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	निवासरत संवासी/ सवांसियां	2020–21 से सितम्बर 2021 तक दत्तक ग्रहण में दिये गये बच्चों का विवरण	
					देश में	विदेश में
1	अल्मोडा	राजकीय बालगृह, बख	10	2	10	0
2		राजकीय बालगृह बालिका बख	10	0		
3	देहरादून	राजकीय बाल गृह, केदारपुरम	10	14	11	0
4		राजकीय बाल गृह बालिका केदारपुरम	10	01		
5	हरिद्वार	राजकीय बाल गृह बालक, रोशनाबाद	10	0	–	–
6	देहरादून	श्री श्रद्धानन्द बाल वनिता आश्रम, तिलक रोड	10	0	–	–
7	हरिद्वार	अनाथ शिशु पालन ट्रस्ट ऑफ इण्डिया श्रीराम आश्रम, श्यामपुर	10	04	–	–
योग			**70**	**21**	**21**	**0**

वर्ष 2017 से अब तक	देश–70	विदेश–14	कुल–84

खुला आश्रय गृह (Open Shelter)

केन्द्र पोषित खुला आश्रय गृह के तहत भीख मॉगने, कूडा बीनने, घर से भागे/पलायन करने वाले 14 वर्ष तक के बच्चो हेतु डे–केयर /लघु आवासीय सुविधा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित है।

क्र.सं	जनपद	संस्था का नाम	स्वीकृत क्षमता	निवासरत संवासी/सवांसियां
1	देहरादून	समपर्ण सोसायटी, देहरादून	25	03
2	देहरादून	आसरा ट्रस्ट, बसन्त विहार	25	0
3	हरिद्वार	रामराज ग्रामोद्योग संस्थान, रावली महदूद	25	01
4	नैनीताल	धरोहर विकास संस्थान, हल्द्वानी	25	0
			100	04

नोट–

- कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये खुला आश्रय गृह में मात्र घर से भागे बच्चों को डे–केयर /लघु आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है।
- सामान्य स्थिति होने पर नियमित रूप से खुला आश्रय गृह संचालित किया जायेगा।

स्पॉन्सरशिप योजना

(केन्द्र पोषित)

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित प्रर्वतकता/ स्पॉन्सरशिप योजना तहत् जन्म से 18 वर्ष के निम्न् श्रेणी के बच्चोंः–

  - अनाथ/निराश्रित/विधवा महिला के बच्चे,
  - एच0आई0वी0 एड्स, कुष्ठ रोग/गम्भीर बीमारी से ग्रसित माता–पिता के बच्चे,
  - ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता दोनों जेल में हो,
  - वार्षिक आय सीमा–ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रू0 24,000/– एवं शहरी क्षेत्रों हेतु रू0 30,000/–

- बच्चों की शिक्षा/चिकित्सीय सहायता/व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि हेतु प्रतिमाह रू0 2,000/– (रू0 दो हजार मात्र) का आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

- प्रति जनपद **रू0 10.00 लाख** का बजट आवंटित किया जाता है।

- प्रर्वतकता/स्पॉन्सरशिप योजना में वर्तमान में **कुल 494 बच्चों** को लाभान्वित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना

(राज्य पोषित)

- कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु अथवा माता–पिता में से कमाऊ सदस्य की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुर्नवास, चल अचल सम्पति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु **"मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना"** लागू की गयी है।

- योजना के अन्तर्गत अच्छादित बच्चों को **रू0 3000.00 की** आर्थिक सहायता प्रतिमाह 01 जुलाई 2021 से जन्म से 21 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जायेगा।

- अक्टूबर, 2021 से **कुल 2318 बच्चों को ऑनलाइन धनराशि** उनके खातों में हस्तान्तरित की जा रही है। योजनान्तर्गत **कुल 2924 बच्चों** को चिन्हित किया गया है।

प्रपत्र–1
राज्य पोषित योजनाऐं

क्र0 सं0	राज्य सेक्टर/केन्द्र पोषित/योजना/बाह्य सहायतित कार्यक्रम/अन्य	बजट प्राविधान वर्ष 2021–22 धनराशि	निर्गत स्वीकृतियों		प्रगति			अभ्युक्ति
			धनराशि	प्रतिशत	वित्तीय धनराशि व्यय धनराशि	वित्तीय धनराशि प्रतिशत	भौतिक	
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	परिवीक्षा सेवा क्षेत्र अधिष्ठान	35618000	35517000	99.72	10807955	30.43	-	
2	बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना	4091000	4089000	99.95	995530	24.35	-	
3	संस्थाओं /गृहो का संचालन	89413000	89412000	100.00	28222464	31.56	24	
4	मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना	81500000	40000000	49.08	18351000	45.88	2039	
5	मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु आवसीय गृह का संचालन	16774000	16770000	99.98	3250627	19.38	01	
6	परिवीक्षा सेवा मुख्यालय	9557000	9455000	98.93	2988386	31.61	-	
7	समेकित बाल संरक्षण योजना (केद्रीय योजनाओं में राज्य का अंश)	15750000	7330555	46.54	7330555	100.00	28	
8	किशोर न्याय (बालकों का संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण	10000000	9476000	94.76	8476000	89.45	-	
	योग राज्यांश	**262703000**	**212049555**	**80.72**	**71946517**	**33.93**		
	योग केन्द्रांश	**135001000**	**96285639**	**71.32**	**61909836**	**64.30**		
	महायोग	**397704000**	**308335194**	**77.53**	**133856353**	**43.413**		

प्रपत्र–1

केन्द्र पोषित योजना

विभाग का नामः महिला कल्याण (बाल संरक्षण सेवायें योजना)

क्र0सं0	केन्द्र पोषित योजना/कार्यक्रम	बजट प्राविधान	निर्गत स्वीकृतियों		वित्तीय धनराशि		भौतिक प्रगति		अभियुक्ति
		वर्ष 2021–22 धनराशि (लाख में)	धनराशि (लाख में)	प्रतिशत	व्यय धनराशि	प्रतिशत	लक्ष्य	प्रतिशत	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	राज्य बाल संरक्षण समिति	71.92	51.29	71.32	13.43	68.90	1	-	
2	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण	14.37	10.25		8.35		1	-	
3	जिला बाल संरक्षण इकाई	502.09	358.10		186.53		13	-	
4	बाल कल्याण समिति	191.62	136.67		100.55		13	-	
5	किशोर न्याय बोर्ड	100.02	71.34		57.31		13	-	
6	विभागीय बाल देखरेख संस्थाऐं	293.28	209.17		230.27		19	-	
7	स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्था	107.52	76.69		35.22		05	-	
8	खुला आश्रय गृह	55.17	39.35		29.37		04	-	
9	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	14.02	10.00		2.16		05	-	
	योग	**1350.01**	**962.85**	**71.32**	**663.19**	**68.90**			

प्रपत्र–2

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा

''मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना''

विभाग का नामः महिला कल्याण

क्र.स	मुख्यमंत्री घोषणा की संख्या	बजट प्रविधान		निर्गत स्वीकृतियाँ		प्रगति				अभ्युक्ति
		वर्ष	धनराशि	धनराशि	प्रतिशत	वित्तीय		भौतिक		
						व्यय धनराशि	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	103 / 2020	2021-22	81500000	40000000	49.08	18351000	45.88	2039	45.88	योजना दिनांक 01.07.2021 से प्रारम्भ हुई है।

प्रपत्र–5

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजनाएं/कार्यक्रम

क्र0 सं0	योजना/कार्य{म का नाम	वार्षिक लक्ष्य		स्वीकृति धनराशि(तिथि सहित)	अवमुक्त धनराशि (तिथि सहित)	प्रगति वित्तीय/भौतिक				अभ्युक्ति
						वित्तीय		भौतिक		
		वित्तीय	भौतिक			व्यय धनराशि	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				राज्य पोषित						
1.	मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना	815.00 लाख	2924	815.00 लाख 29/07/2021 को 4 करोड़	4 करोड़ 9/07/21	183.51 लाख	45.88	2039	45.88	
				केन्द्र पोषित						
1.	स्पॉसरशिप योजना	**130** लाख	520	**130** लाख 20/03/2021	91 लाख 12 मई	59.28 लाख	45.60	494	95	

अन्य उपलब्धियां

- उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में **5 प्रतिशत क्षैतिज** आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- वर्ष 2017–18 से राजकीय बालिका निकेतन, अल्मोडा की **07 बालिकाऐं** द्वारा देव संस्कृति विश्व विद्यालय हरिद्वार में उच्च शिक्षा प्राप्त की गयी जिनमें से दो बालिकाएं द्वारा एनिमेशन एण्ड विजुअल इफेक्ट्स में ग्रेजुएट होकर मुंबई में अपना काम शुरू कर दिया गया है।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से अन्तराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के अवसर पर बाल संरक्षण सेवायें योजना के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं में निवासरत बच्चों के लिए आपसी सहयोग से **उत्सव सप्ताह *"हौसला"*** कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2019 में प्रदेश से प्रतिभाग करने वाले विभागीय/स्वैच्छिक संस्थाओं के कुल 31 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें से **06** बच्चों **द्वारा सिल्वर मैडल** जीते गये है।

चुनौतियां/भविष्य हेतु रणनीति

- **18 वर्ष से अधिक आयु** के बालकों के पुनर्वासन हेतु **संस्था की स्थापना।**
- मानसिक व शारीरिक दिव्यांग बच्चों हेतु राजकीय संस्था की स्थापना।
- **निदेशालय भवन का निर्माण।**
- **मानसिक दिव्यांग महिलाओं का पुनर्वासः** हंस फाउण्डेशन सहयोग से हरर्बटपुर में दो कम्यूनिटी होम संचालित, भविष्य में अन्य महिलाओं के पुनर्वासन हेतु होम संचालित किये जाने की कार्य योजना है।
- **नशे में लिप्त बच्चों का पुनर्वासः राज्य स्तर पर बालक व बालिकाओं हेतु पृथक राजकीय नशामुक्ति केन्द्रों का संचालन।**
- समाज कल्याण विभाग से पृथक करते हुये वर्ष 2019 में महिला कल्याण विभाग की स्थापना की गयी। महिला कल्याण विभागन्तर्गत विभागीय नियमावली व ढांचा बनाने की प्रक्रिया गतिमान है।वर्तमान में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की नियमावली प्रचलन में है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद देहरादून की विभागीय संस्थाओं की बालिकाओं के साथ मनाया रक्षा बन्धन

मा0 मंत्री जी द्वारा हरेला पर्व पर जनपद देहरादून की विभागीय संस्थाओं के बच्चों के साथ विज्ञान धाम में वृक्षारोपण एवं भ्रमण कार्यक्रम

दिनांक 19 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा द्वारा विभागीय संस्थाओं का निरीक्षण

राजकीय उत्तर रक्षा गृह अल्मोडा के निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं प्रगति

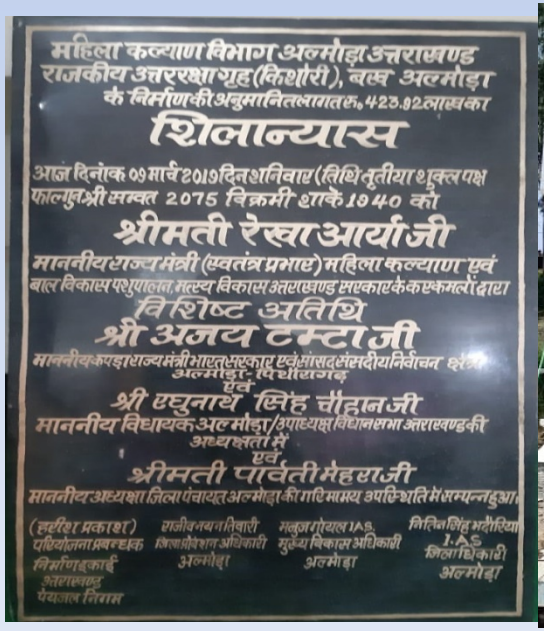

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह उधमसिंहनगर का भूमि पूजन तथा वर्तमान प्रगति

जनपद देहरादून में मा0 मंत्री जी द्वारा भवन निर्माण का उद्घाटन एवं कार्य प्रगति

हंस फाण्डेशन द्वारा देहरादून, हरिद्वार व अल्मोडा की विभागीय संस्थाओं में निवासरत बच्चों को विद्यालय आवागमन हेतु उपलब्ध करायी गयी बस

हंस फाण्डेशन द्वारा देहरादून में संचालित विभागीय संस्थाओं में निवासरत संवासियों के अस्पताल आवागमन हेतु उपलब्ध करायी गयी एम्बुलेंस वैन

बचपन बचाओ आन्दोलन दिनांक 02.09.2021 को ''कोविड केयर किट'' का वितरण एवं प्रशिक्षण

श्री टोलिया जी, चेयरमेन, इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी, उत्तराखण्ड द्वारा राजकीय नारी निकेतन देहरादून की महिलाओं को माह अगस्त, 2021 में हाईजीन किट वितरण

संस्थाओं में निवासरत 18 वर्ष से अधिक आयु की **22 बालिकाओं को विभागीय संस्थाओं में रोजगार के माध्यम से पुनर्वासित** किया गया

48 संवासियों को वर्ष 2020–21 से वर्तमान तक उनके घरों में पुनर्वासित किया गया जिनमें 04 संवासियां नेपाल की भी शामिल है।

राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (मानसिक/नारी निकेतन), केदारपुरम, देहरादून की मानसिक दिव्यांग महिलाओं का पुनर्वासनः 2019–20 मे हंस फाउण्डेशन के सहयोग से 08 महिलाओं को **Community Homes हरबर्टपुर** में पुनर्वासित किया गया।

विभागीय संस्थाओं में बालक–बालिकाओं द्वारा की जा रही रचनात्मक गतिविधियां

संस्थाओं की संवासिनियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक तथा कलात्मक गतिविधियां

सुरक्षा की दृष्टि से समस्त पंजीकृत संस्थाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये गये

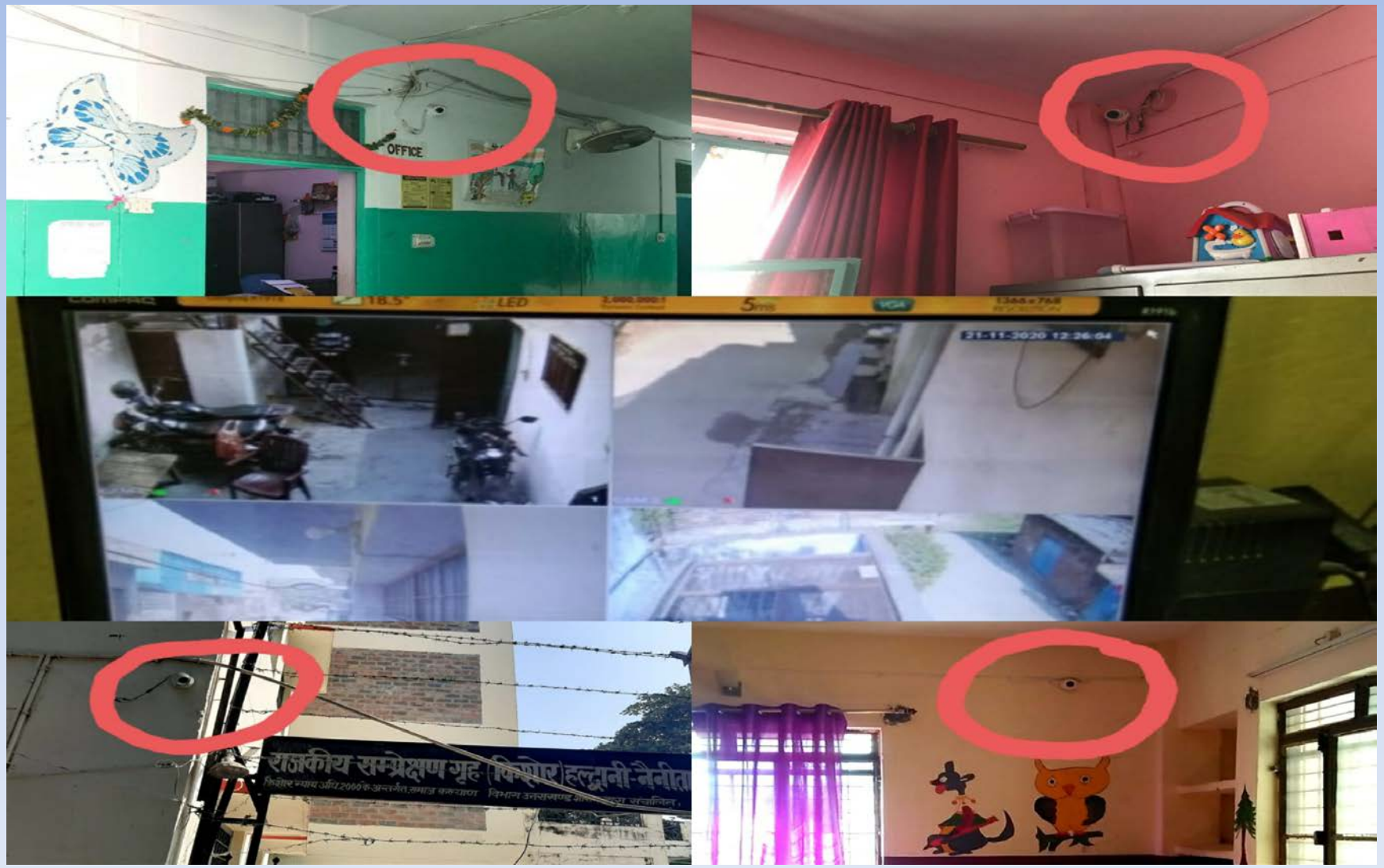

विभागीय संस्थाओं में निवासरत संवासियों का पौष्टिक आहार
(रू0 4500/–प्रतिमाह प्रति संवासी)

प्लॉन इण्डिया के माध्यम से राज्य के 10 विभागीय तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित बाल गृहों में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन हेतु डिजिटल लर्निंग बोर्ड स्थापित किये गये है।

विभागीय संस्थाओं में प्रतिदिन योगा एवं खेलकूद

कोविड–19 एवं डेंगू महामारी रोगों से बचाव हेतु विभागीय संस्थाओं में फोगिंग एवं तापमान चैकिंग

विभागीय संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों की संवेदनग्रहीता एवं क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण

दीपावली 2020 के पर्व पर नगर निगम में प्रर्दशनी तथा महापौर देहरादून द्वारा संवासियों को सम्मानित किया गया

विभागीय संस्थाओं में विभिन्न पर्वों का आयोजन

धन्यवाद